प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत संसद के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में विद्युत मंत्रालय तथा राज्य विद्युत प्रायोगिकियों द्वारा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा जाँच के परिणाम सन्निहित हैं।